


22/10/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिभाषक 34/15/19
प्रार्थी के अधिभाषक द्वारा प्रथम पत्र प्रस्तुत था
निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी
अब कोई आगामी कार्यवाही करना नहीं चाहता
है। प्रकरण को खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रथम पत्र
का अधिलेखन किया। प्रार्थी अपने प्रकरण को आगे
नहीं चलाना चाहता। प्रार्थी के वकील ने प्रथम
पत्र मुन्तखिरी Notpress की खारिज करने की
निवेदन किया है। अतः प्रथम पत्र Notpress
किये जाने पर इसी stage पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल शुभ। लोक द.द. हो।

Notpress by
A. Ramani
22/10/20


जिला कलक्टर
भारतपुर गिजो

संख्या 65/2020 एव प्रार्थना पत्र संख्या 60/20 है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी संख्या 1
एवं रन्धीर के वारिसान द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट मय
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट असल अप्रार्थी के विरुद्ध उनवानी

मोहनसिंह